



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939

No. 95]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

सं. डीई-87(1)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केन्द्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 05 सितम्बर, 2017 के भाग 3, अनुभाग 4 में प्रकाशित मूल भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017 में एतद्वारा नामतः निम्नांकित संशोधन करती है :-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (i) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकता है।
- (ii) वे आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. मूल "भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017" के विनियम 7(1) के द्वितीय उपबन्ध के स्थान पर निम्नांकित उपबन्ध निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

बशर्ते यह भी कि जब उपर्युक्त शततमक के आधार पर संबंधित श्रेणियों में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से कम हो, तो कट-ऑफ़ शततमक स्वतः इस प्रकार घटा दिया जाएगा जिससे पात्र अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक संबंधित श्रेणी में सीटों की संख्या की न्यूनतम तीन गुनी हो जाए।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/471/17]

फुट नोट : मूल विनियम, नामतः "भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017" का प्रकाशन अधिसूचना दिनांकित 05 सितम्बर, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र के भाग III, अनुभाग (4) में किया गया था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2018

No. DE-87(1)-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the Principle Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 05th September, 2017 namely:-

1. Short title and Commencement:-
 - (i) These Regulations may be called the Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course (1st Amendment) Regulations, 2018.
 - (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. The following proviso be substituted with the existing second proviso in Regulations 7(1) of the principle “Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017”, as under:-

Provided further that when the number of qualifying candidates in the respective categories on the basis of the above mentioned percentile are less than three times the number of vacancies, the cut-off percentile will be automatically lowered in such a manner that the number of eligible candidates shall be minimum three times the number of seats in each respective category.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./471/17]

Foot Note: The Principal Regulation namely, “Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017” was published in Part III, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 5th September, 2017.